COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

38

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० प्रदेश ग्वालियर

प्र० क्र० /2013/अपील A-1085-I/13

A 1085 I/13

18/3/13

एन. डी. शर्मा
18-3-13

1- विनय देवी पत्नी स्व० चौबे सिंह

2- रामदेव पुत्र चौबे सिंह

3- श्याम दे पुत्र चौबे सिंह

4- महेश पुत्र चौबे सिंह

5- राम कुमार पुत्र चौबे सिंह

6- कुंज सिंह पुत्र द्वारका सिंह

7- रामनरेश सिंह पुत्र द्वारका सिंह

8- गुलाब सिंह फौत वारिसान विजेन्द्र सिंह पुत्र रूस्तम सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासीगण - ग्राम तरैनी तहसील अम्बाह जिला- मुरैना म०प्र०

.....अपीलांटस

बनाम

1- रामरतन फौत वारिस - कल्लू पुत्र श्री रामरतन जाति कोली निवासी ग्राम तरैनी तहसील अम्बाह जिला मुरैना

2- दौलतराम पुत्र मनीराम

3- किशना देवी वेवा मनीराम

4- भगवानसिंह पुत्र मनी राम

5- राम विलास सिंह पुत्र मनीराम समस्त जाति कोली निवासीगण - ग्राम तरैनी तहसील अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०

6- म०प्र० शासन

.... रेस्पोण्डेन्टस

...

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1085-एक/2013 अपील जिला मुरैना

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-7-16	यह अपील अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुंरैना व्दारा प्रकरण कमांक 15/2010-11 अपील में पारित आदेश दि. 7-3-13 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पाडेन्ट्स ने अपर कलेक्टर जिला मुरैना के न्यायालय में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम तरैनी की भूमि सर्वे कमांक 1093 बंदोवस्त के बाद बने नये सर्वे नंबर 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के नक्शे में हुई त्रृटि सुधार वावत् आवेदन दिया। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 1/09-10 बी-121 पंजीबद्ध किया तथा वाद जांच आदेश दिनांक 30-7-2010 पारित करके नक्शा दुरुस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 15/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-3-2013 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील हुई है। 3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट्स के अभिभाषक श्री एन0डी0शर्मा तथा रिस्पाण्डेन्ट्स के	

अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी के तर्क सुने गए तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर मुरैना ने तहसीलदार अम्बाह से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट मॅगाई है एंव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक वृत्त एक अम्बाह से जांच प्रतिवेदन मॅगाया है जो राजस्व निरीक्षक व्दारा 29-5-09 को प्रस्तुत किया है एंव बताया है कि पटवारी ग्राम तरैनी के साथ दिनांक 24-5-09 को उन्होंने जॉच की है। तहसीलदार अम्बाह के जॉच प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 पर प्रतिवेदित है कि :-

"ग्राम तरैनी की भूम सर्वे क्रमांक 1280 नवीन बंदोवस्त रकबा 1.15 जो साविक पुराने सर्वे नंबर 1093/3 से निर्मित है। खसरा पंचशाला में चौबेसिंह वगैरह वशरह नंबर 1207 भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। "

अपर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण क्रमांक 1/09-10 बी-121 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष जब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि के बटांकित भागीदार एंव भूमिस्वामी अपीलाट्स है तब अपीलांट्स को सुनवाई हेतु एंव बचाव प्रस्तुत करने हेतु आहुत करना चाहिए था, जबकि रिस्पाण्डेन्ट्स ने बटांकन के भागीदार एंव भूमिस्वामी अपीलाट्स को पक्षकार बनाये बिना आवेदन दिया है और ऐसे आवेदन पर एकपक्षीय जॉच कर अपीलांट्स के विरूद्ध सुनवाई का अवसर दिये बिना

एकपक्षीय आदेश पारित करना दूषित कार्यवाही पर आधारित होने से अपर कलेक्टर मुरैना का दिनांक 30-7-2010 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 1/09-10 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपील स्वीकार की जाती है। जहॉ तक रिस्पा0 की भूमि का त्रृटिपूर्ण नक्शा सुधार का प्रश्न है वह वादग्रस्त भूमि के नक्शा सुधार हेतु सक्षम न्यायालय में विधिवत् आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

सदस्य